रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2016/माघ 21, 1937
No. 93] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016/ MAGHA 21, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

सा. का. नि. 158(अ).— केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2016 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) में, पैरा 26क, उप-पैरा (1) में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

3. उक्त योजना के पैरा 68 ढढ में, "54 वर्ष" अंकों और शब्द के स्थान पर "(57 वर्ष)" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त योजना के पैरा 68-ढढढ के पश्चात्, निम्नलिखित नया पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"68-ढढढढ नियोजन की समाप्ति पर आहरण का विकल्प –

(1) केंद्रीय बोर्ड या जहां केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है वहां आयुक्त, या कोई अधिकारी जो उसका अधीनस्थ हो, किसी सदस्य द्वारा ऐसे प्ररुप में जो विनिर्दिष्ट किया जाए किए गए आवेदन पर, उसके भविष्य निधि लेखा से उसके कुल अभिदाय से अनधिक जिसके अंतर्गत संदाय की तारीख तक उस पर ब्याज प्राधिकृत किया गया है किसी स्थापन में, जिसको अधिनियम लागू होता है के कर्मचारी न रहने पर संदाय प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उपपैरा (1) के अधीन आहरण के लिए आवेदन करने वाला सदस्य किसी ऐसी फैक्ट्ररी या अन्य स्थापन जिसको अधिनियम लागू होता है ऐसे आवेदन किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व दो मास से अन्यून की लगातार अवधि के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा :

परंतु उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि की अपेक्षा ऐसी महिला सदस्यों की दशा में लागू नहीं होगा जो स्थापन की सेवाओं से विवाह करने के प्रयोजन के लिए या गर्भाधान या शिशु जन्म के कारण पद त्याग करती है ।"

5. उक्त योजना के पैरा 68-ण, "68-ढ और 68-ढढ" अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "68-ढ, 68-ढढ,68-ढढढ और 68-ढढढढ" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

6. योजना के पैरा 69 में, -

(क) "55 वर्ष " अंक और शब्द, जहां कहीं भी वे आते हैं, "58 वर्ष" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-पैरा (1) में खंड (ङ.) का लोप किया जाएगा; और

(ग) उप-पैरा (2) और (5) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एस – 35012/5/2015-एस एस- 2]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण - कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.नि.आ. 1509 तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25(अ) तारीख 16 जनवरी, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LABUOR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2016

G.S.R. 158(E).— In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees Provident Funds (Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 26A, in sub-paragraph (1), the Explanation shall be omitted.

3. In paragraph 68-NN of the said Scheme, for the figures and word "54 years" the figures and word "57 years" shall be substituted.

4. After paragraph 68-NNN of the said Scheme, the following new paragraph shall be inserted, namely :-

"68-NNNN. Option for withdrawal on cessation of employment.-

(1) The Central Board, or where so authorised by the Central Board, the Commissioner, or any officer subordinate to him, may, on an application made by a member in such form as may be specified, authorise payment to him from his provident fund account not exceeding his own total contribution including interest thereon up to the date the payment has been authorised on ceasing to be an employee in any establishment to which the Act applies.

(2) The member making an application for withdrawal under sub- paragraph (1) shall not be employed in any factory or other establishment, to which the Act applies, for a continuous period of not less than two months immediately preceding the date on which such application is made :

Provided that the requirement of two months' period referred to in sub-paragraph (2) shall not apply in cases of female members resigning from the services of the establishment for the purpose of getting married or on account of pregnancy or child birth.".

5. In paragraph 68-O of the said Scheme, for the figures, letters and word "68-N and 68-NN" the figures, letters and word "68-N, 68-NN, 68-NNN and 68-NNNN" shall be substituted.

6. In paragraph 69 of the said Scheme,-

(a) for the figures and word "55 years" wherever they occur, the figures and word "58 years" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (1), clause (e) shall be omitted; and

(c) sub-paragraphs (2) and (5) shall be omitted.

[F. No. S-35012/5/2015-SS-II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note.-The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number S.R.O. 1509 dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 25(E) dated the 14th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.